न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः– श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :– 08/2018

अपीलान्ट

1. भुंडी देवी पत्नी किशनलाल पुत्री भगाराम जाति प्रजापत, निवासी गांधी नगर कॉलोनी, पाली तह0 पाली जिला पाली राज0।

बनाम

रेस्पोडेन्टान

1. लुनिदेवी पत्नी लक्ष्मणलाल विंजाजी जाति प्रजापती, निवासी सर्वे नं. 14/1, दत दिगंबर कॉलोनी, गली नं. 1, भालेकर वस्ती, जगदंबा प्रॉव्हीजन स्टोअर्स, वारजे जकात नाका, पुणे शहर, पुणे महाराष्ट्र 411052
2. पुकाराम पुत्र भगाराम जाति कुम्हार निवासीगण कुम्हारों का बास सुरायता तहसील सोजत जिला पाली राज0।
3. सरपंच ग्राम पंचायत सुरायता तह0 सोजत जिला पाली राज0।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध
ना.स. 1536 व 1537 स्वीकृत दिनांक 09/10/2006 द्वारा ग्राम पंचायत भैसाणा

उपस्थितिः–

1. श्री गजेन्द्र दवे एवं भगवती प्रसाद, अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित।
2. श्री कैलाश दवे अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट नं. 1 उपस्थित।
3. श्री अर्जुन चौहार अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट नं. 2 उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांक – 20/04/2022

अधिवक्ता अपीलान्ट ने एक राजस्व अपील विरूद्ध रेस्पोडेन्टान अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस आशय की पेश की है कि सरहद मौजा सुरायता, पटवार हल्का सुरायता तह0 सोजत में (a) खाता संख्या 447 खसरा संख्या 1360 कुल खसरा 01 रकबा 0.5900 है0 किस्म बा0दो0, (b) खाता संख्या 446 खसरा संख्या 2393, 2394, 2395, 2404, 2405, 2406 कुल खसरा 06 रकबा 1.3500 है0 किस्म बा0 अ0, (c) खाता संख्या 221 खसरा संख्या 2396, 2397, 2402, 2403, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2481 कुल खसरा 18 कुल रकबा 21.9600 है0 आराजीयात की कृषि भूमि नामा0 सं0 1537 के जरिये पुका वल्द भगा के स्थान पर नाम दर्ज किया गया। उक्त वर्णित कृषि भूमि में अगीलाण्ट के पिता स्व0 भगाराम की खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि थी। भगाराम अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के पिता है जिनका स्वर्गवास दिनांक 05/01/2006 को हो चुका है। उक्त पद में वर्णित कृषि भूमि में स्व0 भगाराम की खातेदारी की कृषि भूमि है तथा भगाराम की वंशावली इस प्रकार है कि भगाराम वल्द धीराराम, पुखाराम पुत्र भगाराम, भुण्डीदेवी व लुनीदेवी पुत्री भगाराम। उक्त वंशावली में वर्णित सभी भगाराम के वली वारिसान है तथा अपीलांट व रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2 प्रथम श्रेणी के वारिसान है तथा हिन्दू उतराधिकारी अधिनियम की धारा 8 के तहत भी प्रथम श्रेणी के विधिक वारिसान होने से भगाराम की सम्पति में सभी का हक व अधिकार हैं। भगाराम का निवर्तीयती स्वर्गवास हो जाने से पद संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि में

अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का हक व अधिकार अर्जित हो चुके है तथा अपीलांट उक्त कृषि भूमि पर संयुक्त रूप से काबिज काश्त चले आ रहे है। अपीलांट के पिता भगाराम का स्वर्गवास होने के बाद पद संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि का नामान्तकरण स्वीकृत करते समय अपीलांट को कोई नोटिस नहीं दिया गया और न ही अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिया गया तथा भगाराम के सभी विधिक वारिसान की जांच किये बिना ही रेस्पोडेण्टान सं0 3 ग्राम पंचायत सुरायता के द्वारा रेस्पोडेण्ट सं0 2 के पक्ष में म्यूटेशन संख्या 1536 व 1537 दिनांक 09/10/2006 को स्वीकृत कर दिया गया तथा रेस्पोडेण्ट संख्या 2 का नाम ही दर्ज किया गया जबकि हिन्दू उतराधिकारी अधिनियम की धारा 8 के तहत अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 भी प्रथम श्रेणी के वारिस होने के बावजूद भी अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का नाम दर्ज नहीं किया गया जो एक विधिक भूल है। अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 भगाराम की पुत्रीया होने से जन्म से एवं प्रथम श्रेणी की विधिक वारिसान होने से उक्त पद में वर्णित कृषि भूमि में अपना नाम दर्ज करवाने की अधिकारिणी है। जिससे नामान्तकरण संख्या 1536 व 1537 अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हक व अधिकारों के विरूद्ध बेअसर व शुन्य है। अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं करने से अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अपने जायज हक व अधिकारों से महरूम हो रहे है। इसलिए नामान्तकरण संख्या 1536 व 1537 काबिले खारिज के है। अपीलांट का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं करने के कारण अपीलांट को राज्य सरकार की ओर से मिलने वाली सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा है। भगाराम की सम्पति में अपीलांट का हक व अधिकार निहित है। उक्त वर्णित कृषि भूमि पर अपीलांट का संयुक्त रूप से कब्जा चला आ रहा है। इसलिए अपीलांट अपना नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाने की अधिकारिणी है। म्यूटेशन संख्या 1536 व 1537 स्वीकृत करते समय अपीलांट का नाम दर्ज नहीं करने से कानूनी एवं वाक्याती भूल की है। इसलिए उक्त म्यूटेशन को खारिज करवाने हेतु यह अपील श्रीमान के समक्ष पेश है। रेस्पोडेण्ट संख्या 2 के नाम ही राजस्व रेकर्ड में नाम दर्ज किया गया जो गलत दर्ज किया गया। रेस्पोडेण्ट संख्या 2 की नियति में फर्क आ गया है तथा अपीलांट को वादस्थ कृषि भूमि से बेदखल करने की नियत से मौके पर आकर अपीलांट को दिनांक 01/09/2018 को धमकियां दी कि उक्त वर्णित कृषि भूमि पर इस वर्ष काश्त मत करना एवं न ही किसी से काश्त करवाना। तब अपीलांट ने रेस्पोडेण्ट संख्या 2 से निवेदन किया कि उक्त कृषि भूमि में हमारा भी हक व हिस्सा है तथा इतने वर्षो से आप पर विश्वास किया कि आपने हमारा नाम भी राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाया होगा तब रेस्पोडेण्ट संख्या 2 ने ऐलानिया कहा कि अपीलांट का नाम दर्ज नहीं करवाया गया है। अब जबरदस्ती वादस्थ कृषि भूमि से बेदखल करके रहेंगे तब अपीलांट ने राजस्व रेकर्ड एवं म्यूटेशन की नकले दिनांक 10/09/2018 को प्राप्त करने पर पूर्ण जानकारी हुई कि नामान्तकरण संख्या 1536 व 1537 स्वीकृत करते समय अपीलांट का नाम भगाराम की सम्पति में दर्ज नहीं किया गया, जो कानूनी भूल है। इसलिए अपीलांट म्यूटेशन संख्या 1536 व 1537 को खारिज करवाकर अपना नाम राजस्व रेकर्ड में अपना नाम दर्ज न होने की किसी प्रकार की कोई जानकारी नही थी एवं नामान्तकरण संख्या 1536 व 1537 अपीलांट के हक अधिकारों के विरूद्ध बेअसर एवं शुन्य है। इसलिए यह अपील अंदर म्याद श्रीमान के समक्ष पेश है। इसके बावजूद भी अपील अन्दर म्याद शुमार करने हेतु धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से पेश है। रेस्पोडेण्ट संख्या 2 नाजायज तरीके से उक्त वर्णित कृषि भूमि को उनके हक हिस्से अधिक भूमि को अन्य को बेचान, हस्तान्तरण करने पर आमदा है

तथा अपीलांट को धमकिया दी कि उक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि को अन्य भू माफियों को बेचान, हस्तान्तरण कर वादस्थ कृषि भूमि से अपीलांट को महरूम कर देगे जिसका रेस्पोडेण्ट को हक व अधिकार नहीं है। रेस्पोडेण्ट का उक्त वर्णित कृषि भूमि में संयुक्त रूप से कब्जा चला आ रहा है तथा अपीलांट भगाराम के प्रथम श्रेणी के विधिक वारिसान होने एवं अपीलांट व रेस्पोडेण्ट संख्या 1 भगाराम की जाईन्दा पुत्रीया होने से जन्म से हिन्दू उतराधिकारी के तहत भगाराम के सम्पति में हक व अधिकार निहित होने से नामान्तकरण संख्या 1536 व 1537 खारिज करने के अधिकारी है। अपीलांट के पिता भगाराम के निवसीयती स्वर्गवास हो जाने पर ग्राम पंचायत सुरायता द्वारा म्यूटेशन संख्या 1536 व 1537 में भगाराम की वंशावली दर्शित की गई जिसमें भगाराम के विधिक वारिसानों को छुपाते हुये एवं अपीलांट व रेस्पोडेण्ट संख्या 1 को बिना सुनवाई का अधिकार दिये नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतो के विपरीत उक्त नामान्तकरण दर्ज करने में कानूनी व वाक्याती भूल की है। वादस्थ कृषि भूमि सरहद मौजा सुरायता में स्थित होने व नामान्तरण संख्या 1536 व 1537 सरपंच ग्राम पंचायत सुरायता द्वारा स्वीकृत करने से यह अपील न्यायालय हाजा के श्रेत्राधिकार का है। अतः अपील अपीलान्ट ने पेश कर स्वीकार फरमायी जाकर अपीलाधीन नामान्तरण संख्या 1536 व 1537 स्वीकृत सरहद मौजा सुरायता को अपास्त किये जाने तथा अपीलान्ट के नाम सजस्व रेकर्ड में दर्ज किये जाने की ईश्तदुआ की है। इस पर राजस्व अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टान को जरिए सम्मन्स तलब किया गया।

रेसपोडेन्ट संख्या 01 की और से श्री कैलाश दवे व रेस्पोडेन्ट संख्या 02 की ओर से श्री अर्जुन चौहान को अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया सा0मि0 हो।

बहस वकुलाय सूनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने व्यक्त किया कि अर्थात् कृषि भूमि में अपीलाण्ट के पिता स्व0 भगाराम की खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि थी। भगाराम अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के पिता है जिनका स्वर्गवास दिनांक 05/01/2006 को हो चुका है। भगाराम की वंशावली इस प्रकार है कि भगाराम वल्द धीराराम, पुखाराम पुत्र भगाराम, भुण्डीदेवी व लुनीदेवी पुत्री भगाराम। उक्त वंशावली में वर्णित सभी भगाराम के वली वारिसान है तथा अपीलांट व रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2 प्रथम श्रेणी के वारिसान है तथा हिन्दू उतराधिकारी अधिनियम की धारा 8 के तहत भी प्रथम श्रेणी के विधिक वारिसान होने से भगाराम की सम्पति में सभी का हक व अधिकार हैं। भगाराम का निवर्तीयती स्वर्गवास हो जाने से पद संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि में अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का हक व अधिकार अर्जित हो चुके है तथा अपीलांट उक्त कृषि भूमि पर संयुक्त रूप से काबिज काश्त चले आ रहे है। अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिया गया तथा भगाराम के सभी विधिक वारिसान की जांच किये बिना ही रेस्पोडेण्टान सं0 3 ग्राम पंचायत सुरायता के द्वारा रेस्पोडेण्ट सं0 2 के पक्ष में म्यूटेशन संख्या 1536 व 1537 दिनांक 09/10/2006 को स्वीकृत कर दिया गया तथा रेस्पोडेण्ट संख्या 2 का नाम ही दर्ज किया गया जबकि हिन्दू उतराधिकारी अधिनियम की धारा 8 के तहत अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 भी प्रथम श्रेणी के वारिस होने के बावजूद भी अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का नाम दर्ज नहीं किया गया जो एक विधिक भूल है। जिससे उक्त नामान्तरकरण संख्या 1536 व 1537 दिनांक 09.10.2006 को खारिज फरमाने का निवेदन किया है। जबाब बहस में अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने 01 ने जबाब बहस में अपीलाण्ट द्वारा वांछित अनुतोष अनुसार उक्त नामान्तरकरण को खारिज किये जाने

उपखण्ड अधिकारी

की ईश्तदुआ की है। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 ने अपनी बहस में व्यक्त किया कि प्रस्तुत अपील गलत तथ्यों के साथ पेश की गई है। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 को पुश्तैनी भूमि अपने पिता के एक मात्र पुत्र होनेसे प्राप्त हुई है। अपीलाण्ट ने मात्र हैरान परेशान की नियत से उक्त अपील प्रस्तुत की है। जिसे खारिज किये जाने की ईश्तदुआ की है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत अपील प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम मय शपथ का अध्ययन कर बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। प्रस्तुतः अपील के संलग्न फहरिस्त मय दस्तावेज यथा जमाबन्दी के स्पष्ट होता है कि उक्त अपील में वर्णित भूमि में से बैचान किया गया है। अधिवक्ता अपीलाण्ट व अपीलाण्ट द्वारा खरीददारान को पक्षकार संयोजित नही किया गया है। जिससे स्पष्ट होता है कि अपीलाण्ट क्लीन हैण्ड से प्रस्तुत नही हुये है। म्यूटेशन अपील एक फिक्सल प्रासेडिंग है जिससे किसी के हक अधिकार तय नही किये जा सकते है। अधिवक्ता अपीलाण्ट मय अपीलाण्ट सक्षम न्यायलय में अपने हक अधिकार हेतु वाद प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है। लिहाजा अधिवक्ता मय अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत उक्त नामान्तरकरण अपील खारिज योग्य होने से खारिज किया जाना उचित समझते है।

–: <u>आदेश</u> :–

अतः अपील अपीलान्ट क्लीन हैण्ड से पेश नही होने व पोषणीय नही होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर / लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 20.04.2022 2022 को सरे ईजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत